पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या –7273/2018

= = = =

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= = = =

मानना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को उस पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता था, जिसके लिए वह हकदार है। विद्वान एकल न्यायाधीश को परिपत्र को इस हद तक रद्द कर देना चाहिए था कि दूसरी पत्नी के बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से रोक दिया गया था। इसी तरह, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का निर्देश जारी करने के बजाय, विद्वान एकल न्यायाधीश को प्रतिवादियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश देना चाहिए था क्योंकि कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है। यह सामान्य नियम का अपवाद है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार में अभाव और दरिद्रता को रोकना है। योजना के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है, जिसे प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना चाहिए कि क्या आवेदक को वित्तीय आवश्यकता और अन्य आवश्यकताओं सहित योजना की सभी शर्तों की आवश्यकता है।

6. माननीय पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश के आलोक में, इस न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट है कि इस याचिका में आरोपित अनुलग्नक–पी5 कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है। इसलिए, इसे रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता को इस आदेश के साथ तीस दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया जाता है और प्रतिवादी संख्या 2, पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/पेश होने की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर पूर्ण पीठ में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए याचिकाकर्ता के मामले में निर्णय लें।

7. इस निर्देश के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(डॉ0 अंशुमान, न्यायमूर्ति)

एम.के.आर./–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।